11.2.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

11.2.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीगण श्री रघुवीर पाण्डे. उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट नं 3 राज्य की ओर से पैरोकार राज उपस्थित रेस्पोन्डेन्टगण 1 व 2 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा है। बहस पक्ष अभिभाषक अपीलान्टगण व राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित पैरोकार राज सुनी गयी। आदेश सुनाया गया अपील के हवाले के दौरान मृतक रामचन्द्र और खातेदार के समस्त वारिसान की पक्षकार अभाव के पारित आदेश इन्तकाल जेर अपील विधि विरुद्ध पाये जाने से अपील मन्जूर की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 27.10.2010 निरस्त की जाती है। मामला विरासतन के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुवे दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर उन्हें देकर तथा उन्हें सुनकर दुबारा विधि सम्मत रूप से इन्तकाल संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। विस्तृत आदेश पृथकगणा लिखवाया जाकर शामिल मिसल कराया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)